संख्या- 34 /2015/ 926 /एक-4-15-56बी-4/2010

प्रेषक,

सुरेश चन्द्रा,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

1- आयुक्त् एवं सचिव,
राजस्व परिषद, उ0 प्र0,
लखनऊ।

2-समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग-4 **लखनऊ दिनांक 08 सितम्बर, 2015**

विषय:- वेतन समिति 2008 के पत्र दिनांक 22-01-2010 द्वारा राजकीय विभागों के सचिवालय से इतर लिपिकीय संवर्ग के संबंध में की गयी पूर्व संस्तुतियों पर विचार करते हुए दी गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन हेतु वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 के निर्गत शासनादेश दिनांक 18-03-2011 एवं 22-12-2011 के क्रम में कलेक्ट्रेट कार्यालय के कर्मचारियों का वेतन पुनरीक्षित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-928/1-4-13-56बी-4/2010, दिनांक 31-05-2013 के क्रम में एवं आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद के पत्र संख्या-आर0जी0-68/12-10ए/2013, दिनांक 22-05-2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश दिनांक 31-05-2013 के संलग्नक-2 के स्तम्भ-3 क्रमांक-5 में त्रुटिवश **"पद सृजन की कार्यवाही बाद में की जायेगी"** अंकित हो गया है। अतएव शासन द्वारा उक्त शासनादेश दिनांक 31-05-2013 के संलग्नक-2 के स्तम्भ-3 क्रमांक-5 में उल्लिखित वाक्यांश **"पद सृजन की कार्यवाही बाद में की जायेगी"** एतद्द्वारा निरस्त/विलोपित किया जाता है।

2- कृपया उक्त शासनादेश इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

3- यह आदेश वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1 के अशासकीय संख्या-वे0आ0-1-755/दस-2015, दिनांक 03 सितम्बर, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहें हैं।

भवदीय,

(सुरेश चन्द्रा)
प्रमुख सचिव ।

संख्या-34/2015/926 (1)एक-4-15-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -:

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी उ0प्र0।
3- वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1/2 को तीन प्रतियों में।
4- कार्मिक नियमावली सेल, उ0प्र0 सचिवालय।
5- समस्त मण्डलायुक्त ।
6- गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(बीरबल सिंह)
उप सचिव ।

http://shasanadesh.up.nic.in